पत्रांक:–15/डी0एल0ए0, नीति–11/06..1043 रा0

आयुक्त
26 OCT 2009
पटना प्रमंडल, पटना

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक, सी0 अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता।

पटना, दिनांक:– 26/10/09

विषय :– भू–अधिग्रहण के मामलों में भू–अर्जन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत शीघ्र कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि अधियाची विभाग से भू–अर्जन हेतु अधियाचना समर्पित किए जाने के पश्चात् प्रस्ताव का गठन करने में जिला स्तर पर विलम्ब होता है, जिसके कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन ससमय नहीं हो पाता है।

अतः भू–अर्जन की कार्रवाई त्वरित गति से निष्पादन हेतु निम्नांकित निदेशों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(1) सर्वप्रथम अधियाची विभाग द्वारा समर्पित अधियाचना की जाँच जिला स्तर पर भलीभाँति की जाय। अधियाची विभाग से भू–अर्जन हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है, अथवा नहीं ? इसकी जाँच कर ली जाय। अगर भू–अर्जन हेतु अनुमानित राशि उपलब्ध कराई गई है तो प्राप्त अधियाचित रकबा के अन्तर्गत आनेवाले प्रत्येक खेसरा में सन्निहित रकबा की जाँच जिला स्तर पर संधारित अभिलेखों/नक्शा से कर ली जाय। तदुपरान्त भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/6 अधिसूचना/अधिघोषणा का प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(2) भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/6 अधिसूचना/अधिघोषणा के दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनोपरान्त जिला गजट का प्रकाशन, रैयतों को तामीला की कार्रवाई शीघ्र पूरी करते हुए भू–अर्जन अधिनियम की धारा–7 एवं 17(1) के तहत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार की स्वीकृति हेतु शीघ्र भेजा जाय।

(3) भू–अर्जन अधिनियम की धारा–7 एवं 17(1) के तहत निर्गत राज्यादेश के पश्चात् भू–अर्जन अधिनियम की धारा–9 के तहत नोटिश निर्गत करने की कार्रवाई शीघ्र की जाय एवं प्राप्त आपत्ति की जाँच एवं उसका निस्तार निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत किया जाय।

(4) भू–अर्जन अधिनिमय की धारा–23 के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करते हुए प्राक्कलन तैयार कर समाहर्त्ता/प्रमंडलीय आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

उपर्युक्त सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए समाहर्त्ता हितसम्बद्ध रैयतों को 80% मुआवजा राशि का भुगतान कर अर्जित भूमि का आधिपत्य/दखल–कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(अशोकवर्धन) 26/10/09

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

E:\Land Acquistion T\Ramji\Letter Ramji.doc